



PRICE "LESS" FASHION

Date: 23rd October, 2019

Ref.No. CS/S/L-378/2019-20

To,

To:
The Listing Department
**NATIONAL STOCK EXCHANGE OF
INDIA LIMITED**
"Exchange Plaza"
Bandra-Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai-400 051
Scrip Code: VMART
Fax: 022-26598120
Email: cmlist@nse.co.in

To:
The Corporate Relationship Department
THE BSE LIMITED
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400 001
Scrip code: 534976
Fax: 022-22723121
Email: corp.relations@bseindia.com

Sub: Copies of the Board Meeting Notice publication

Sir,

Please find enclosed herewith the copies of the newspaper publication of Notice of the Board Meeting of the Company for the second quarter and half year ended on September 30, 2019, scheduled to be held on 1st November, 2019 and as published in terms of the Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, on Wednesday, 23rd day of October, 2019, in "Financial Express" –English Edition and "Jansatta" – Hindi Edition newspapers.

Request you to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours truly,

For V-Mart Retail Limited

Megha Tandon
Company Secretary

Membership No: A35532

Encl.: As Above

V-MART RETAIL LTD.

CIN- L51909DL2002PLC163727

Corporate Office : Plot No. 862, Udyog Vihar, Industrial Area Phase V, Gurgaon - 122 016 (Haryana)
Tel. : 0124-4640030, Fax No. : 0124-4640046 • Email : info@vmart.co.in • Website : www.vmart.co.in
Registered Office : 610-611, Guru Ram Dass Nagar, Main Market, Opp. SBI Bank, Laxmi Nagar, New Delhi - 110092

TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LIMITED
Regd. Off: Dehradun, District Saharanpur, Uttar Pradesh, 247 554
Corp. Off: 8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector 16A, Noida-201301

छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम
माध्यमिक शिक्षा पद्विस्तर, पंचनवाड़ा, रायपुर
फोन: 0771-2432151, 2432531, 2432532

WELSPUN INDIA
Corporate Identification Number - L17110GJ1985PLC033271
Regd. Office: Welspun City, Village Versameddi, Taluka Anjar, Dist. Kutch, Gujarat - 370110

Bank of India BOI
RFP FOR SELECTION OF SERVICE PROVIDER FOR AUTHENTICATION CONTROL SERVER (ACS) SERVICES FOR ONLINE CARD TRANSACTIONS AND OTHER PRODUCTS

Jullundur Motor Agency (Delhi) Limited
CIN: L3599HR1998PLC033943
Regd. Off: 458-1/16, Sohna Road, Opp. New Court, Gurugram - 122001, Haryana, INDIA.

TENNECO FEDERAL-MOGUL GOETZE (INDIA) LIMITED
CIN: L74899DL1954PLC002452
Regd. Office: GLF Prime Towers, 10 Ground Floor, F 79 & 80, Okhla Phase-I, New Delhi-110020

WELSPUN INDIA
EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2019

GIL Gujarat Informatics Limited
Block No. 2, 2nd Floor, Karmayogi Bhawan, Sector 10 A, Gandhinagar-382010 (Gujarat) Ph: 079-23256022, Fax: 079-23238925

V.S.T. TILLERS TRACTORS LTD.
CIN: L34101KA1967PLC001706
Regd. Office: Plot No. 1, Dhyasandra Industrial Layout, Whitefield Road, Mahadevapura Post, Bangalore-560 048.

PUNJAB STATE TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
Regd. Office: PSEB Head Office, The Mall Patiala-147001, Corporate Identity Number: U40109PB2010SGC033814

WELSPUN INVESTMENTS AND COMMERCIALS LIMITED
CIN: L52100GJ2008PLC055195
Regd. Office: Welspun City, Village Versameddi, Taluka Anjar, Dist. Kutch, Gujarat 370110

NMDC Limited
(A Government of India Enterprise)
Donimalai Complex, Donimalai Township, Sandur Taluq, Ballari Dist., Karnataka - 583118

NOTICE
The next Board Meeting of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 5th November 2019 to inter-alia consider and approve the Un-Audited Financial Results for the quarter & half year ended September 30, 2019.

BIRLA CORPORATION LIMITED
CIN: L01132WB1919PLC003334
Registered Office: 9/1, R. N. Mukherjee Road, Kolkata - 700 001

NOTICE INVITING & TENDER
Enquiry No.: STQ-51116
Description: 66KV Current Transformers of various ratios

PUNJAB CHEMICALS AND CROP PROTECTION LTD.
CIN: L24231PB1975PLC047063
Regd. Office: Milestone-18, Ambala Kalka Road Vill. & P.O. Bhankarpur, Derabassi, Dist. SAS Nagar, Mahal (Punjab)- 140201

PUDUMJEE PAPER PRODUCTS LTD.
Regd. Off: Thergon, Pune-411 033.
Tel: 020-40773423
Fax: 020-4077 3388

SIMPLEX PROJECTS LIMITED
CIN: L45201WB1990PLC050101
Regd. Office: 12/1 Nellie Sengupta Sarani, Kolkata - 700 087

MUTUAL FUNDS Indiabulls MUTUAL FUND
Investment Manager: Indiabulls Asset Management Co. Ltd. (AMC)
Registered Office: M - 62 & 63, 1st Floor, Connaught Place, New Delhi - 110 001.

NMDC Ltd.
(A Govt. of India Enterprises) (An ISO-9001 Company)
Bailadila Iron Ore Mines, Bachel Complex, Bachel, Dist.-South Bastar (Dantewada), CG-494533

PUDUMJEE PAPER PRODUCTS LTD.
NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,

DELHI JAL BOARD GOVT OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (EAST) I
M 16 MAYUR VIHAR PKT E PHASE II NEW DELHI 110091

NOTICE for declaration of dividend in the Scheme(s) of Indiabulls Mutual Fund (IBMF):
NOTICE is hereby given that Indiabulls Trustee Co. Ltd., Trustee to Indiabulls Mutual Fund (IBMF), has approved the declaration of dividend in the Dividend Option offered under the Plan(s) of Indiabulls Arbitrage Fund

Shetron Limited
CIN: L21014KA1980PLC003842
Regd. Office: Plot No. 1, Bommasandra Industrial Area, Hosur Road, Bangalore - 560099.

तमांग की अयोग्यता की अवधि घटाकर 13 माह करने का मामला

केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने ब्रह्मचार के मामले में दोषी करार दिए गए और सजा मुकर्र किए गए सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के लिए अयोग्यता की अवधि छह साल से घटा कर महज 13 महीने करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को केंद्र और आयोग से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर के पीठ ने राज्य सरकार और तमांग को भी नोटिस जारी कर उनसे इस अर्जी पर जवाब मांगा है। अर्जी में चुनाव आयोग को अयोग्यता अवधि (चुनाव लड़ने पर लगी रोक की अवधि) हटाने या घटाने का अधिकार देने वाले जन प्रतिनिधित्व कानून के संबंधित

प्रावधान को चुनौती दी गई है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 24 दिसंबर तय की है। तमांग के सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने अप्रैल में विधानसभा चुनाव जीता था और उन्होंने 27 मई को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। लेकिन वह अयोग्य ठहराए जाने के कारण चुनाव लड़ नहीं सके थे। उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़कर एक साल के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ने की जरूरत है। उन्हें 26 दिसंबर, 2016 को ब्रह्मचार रोकथाम कानून के तहत अपराधों को लेकर दोषी ठहराया गया था और एक साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने 10 अक्टूबर, 2018 को एक साल की कैद की सजा पूरी कर ली थी। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के महासचिव डेक बहादुर कतवाल ने

याचिका दायर कर कहा है कि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 11 असंवैधानिक है क्योंकि यह चुनाव आयोग को अयोग्यता अवधि हटाने या घटाने का अनिश्चित व मनमानापूर्य अधिकार देती है। कतवाल ने नामांकन भरने के आखिरी दिन से एक दिन पहले 29 सितंबर को चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश को भी चुनौती दी है जिसके माफ़त तमांग को छह साल की अयोग्यता अवधि में चार साल 11 महीने की कमी कर दी गई। सुदर्शन गोयल, सिद्धार्थ शर्मा और युति अरोड़ा ने याचिका दायर कर कहा कि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 11 इस कानून के लक्ष्य व उद्देश्य के विरुद्ध है क्योंकि यह कानून दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को भारत में छह साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने के लिए बनाया गया है।

अदालत ने कहा, सहमति से बना संबंध बलात्कार नहीं

टांग, 22 अक्टूबर (भाषा)।

महाराष्ट्र के टांगे की एक अबलत ने बलात्कार के आरोप से 56 साल के एक व्यक्ति को बरी करते हुए इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि सहमति से बना शारीरिक संबंध बलात्कार नहीं होता। आरोपी पर अपने इच्छा कर की पत्नी से बलात्कार का आरोप था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरआर वैष्णव ने पिछले गुरुवार के अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी विलीन श्रीधर पाटील के खिलाफ लगे बलात्कार के आरोप को सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा। अभियोजन पक्ष के मुताबिक महिला का पति आरोपी के चालक के तौर पर काम करता था। आरोपी के अक्सर उनके घर आने-जाने की वजह से वह उससे चुल-मिल गई थी। अभियोजक ने कहा कि 2014 में आरोपी ने महिला को एक लॉज में युवा कर उससे बलात्कार किया। इसके बाद कई मौकों पर उसने महिला से बलात्कार किया। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि महिला के विरोध करने पर आरोपी ने उसे बदनाम करने और उसके पति को नौकरी से

हटाने की धमकी दी। अबलत को बताया कि 2014 में महिला के पति को मौत के बाद, आरोपी ने कई बार उससे बलात्कार किया और उसे कुछ पैसे भी दिए। इस घटनाक्रम से परेशान होकर एक दिन महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। न्यायाधीश ने पत्नी कि महिला ने अपने बयान में कहा कि वह आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहती। बचाव पक्ष के वकील की ओर से पूछताछ किए जाने के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसके और आरोपी के बीच सहमति से संबंध बने थे। महिला ने स्वीकार किया कि उसकी भाभी को इसकी जानकारी हो गई थी जिसके बाद उसने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। न्यायाधीश ने कहा, 'पीड़िता ने ये सब स्वीकार कर अभियोजन की कहानी को गलत साबित कर दिया।'

'ध्रुव' में चुने गए बच्चे दुनिया में परचम लहराएंगे : निशंक

जनसत्ता ग्रुपो नई दिल्ली, 22 अक्टूबर।

कार्यक्रम 'ध्रुव' के तहत चुने गए सभी 60 बच्चे अपने अपने क्षेत्र में न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी प्रतिभा का परचम लहराएंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित आवास पर प्रथममंत्री नवाचार प्रशिक्षण कार्यक्रम 'ध्रुव' के तहत चुने गए 60 बच्चों से मुलाकात के दौरान यह बात कही। इस अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्री संजय घोड़े भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम 'ध्रुव' के तहत चुने गए बच्चों की प्रतिभा को नवा आ्याम देने के लिए देश के कला और विज्ञान के क्षेत्र के प्रख्यात विद्वानों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है।

इस अवसर पर निशंक ने बच्चों को कहा कि आप सामान्य बच्चे नहीं हैं। देश भर के करीब 26 करोड़ विद्यार्थियों में से आपको 'ध्रुव' कार्यक्रम के तहत चुना गया है। आपको काम भी असाधारण करना पड़ेगा और नए भारत का निर्माण करने की जिम्मेदारी आपकी है। उन्होंने कहा कि पूरे देश को आपसे बहुत उम्मीदें हैं और

आप सभी इस देश के बच्चों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। निशंक ने सभी बच्चों को जीवन में सफलता के लिए समय प्रबंधन की सलाह दी। उन्होंने बच्चों को चुनौतियों का डटकर सामना करने और उनका हल निकालने को कहा। हमें सिर्फ भारत के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जिन चुनौतियों का सामना कर रही है, उनका समाधान निकालना है क्योंकि हम वसुधैव कुटुम्बकम में विश्वास करते हैं। संजय घोड़े ने बच्चों से कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें प्रतिभावान छात्रों को निखारने का मौका मिला है। आपके माध्यम से भारत कला और विज्ञान दोनों क्षेत्रों में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल होगा और एक बार वापस भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। 14 दिनों से चल रहे इस कार्यक्रम में बच्चों को प्रख्यात फिल्म निर्माता व निर्देशक सुभाष चंद्र, प्रख्यात पार्यव गायक मोहित चौहान, प्रख्यात ध्रुप गायक वसिष्ठदास डगार, प्रख्यात ताल बादक शिवमणि, लोकसभा सांसद और सूफी गायक हंसराज हंस, कोर्टा कॉर्पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डोमिनिक पॉल और अन्य लोगों से मिलने, सीखने का अवसर मिला है।

केरल : सांसद की पत्नी ने किस्मत की बराबरी बलात्कार से की

कोच्चि, 22 अक्टूबर (भाषा)।

कांग्रेस सांसद हिबो ईडन की पत्नी द्वारा फेसबुक पर लिखी गई एक पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर कोह्यम मच गया है। सांसद की पत्नी ने इस पोस्ट में किस्मत और बलात्कार के बीच समानता बताई है। हिबो ईडन एनॉकुलम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्ना दीना ईडन ने कांचिच में सोमवार को वारिस के बाद आई ब्याड के दौरान अपनी बेटी और पति ईडन को दगा बताने के लिए फेसबुक पर पोस्ट किए गए दो वीडियो क्लिप के साथ लिखा, 'किस्मत बलात्कार के समान है, अगर आप इसे रोक नहीं सकते, तो इसका आनंद लेने की कोशिश करें।' एक वीडियो में उनकी बेटी को पानी में धिरे घर से बाहर निकालते दिखाया है जबकि दूसरे वीडियो में उनके पति किसी जहाज सिकर (गर्मा गरम खाना) का आनंद उठाते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया उपयोगकर्ता महिला विरोधी टिप्पणियों को लेकर आनंद पर जमकर बरसे जबकि कुछ ने कथित तौर पर अप्सर्तील भाषा का इस्तेमाल करने के लिए उनकी आलोचना की।

MERGER OF BRANCH

Due to administrative exigencies, it has been decided to close our Model Town 1st Branch (0424) and merge it with Model Town 2nd Branch, under Delhi North Region with effect from 23/01/2020. The combined branch shall be functioning at the following address: **Muthoot Finance Ltd.,** First Floor B- 4/3, Model Town, Phase 1, N- 426, New Delhi - 110053. Phone No. - 011 - 43464480,81,82, 9895306494. Email: mgmtd0171@muthootgroup.com We solicit your committed patronage and support.



वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय - 610-611, नूरु सय्या नगर, मेन मेट्रो, एमपीईसी डेव के समेत, एनडी दिल्ली - 110092. कॉर्पोरेट कार्यालय - फ्लोर 4, 862, इंदिरा पार्क, इंदिरा पार्क, फ्लोर - V, गुरुग्राम - 122016. टेली: 0124 - 4640030; फोन: 0124 - 4640046; ईमेल: cs@vmart.co.in; वेबसाइट: www.vmart.co.in, CIN - L15909DL2002PL163727

एम एस टी सी लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) **MSTC LIMITED** (A GOVT OF INDIA ENTERPRISE) **ई-नीलामी प्रोग्राम** एमएसटीसी द्वारा नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन अर्बिस्ट्री की ओर से 05.11.2019 को लॉट नं. 142डी/1 के भवन और स्वामी संचालन की लीज के आधार पर ई-नीलामी का आयोजन किया जाएगा। विवरण हेतु कृपया श्री सीरस कुमार (एमएसटीसी) को मोबाइल नंबर 981146516, आर. पी. वर्मा (एमएसटीसी) को फोन नं. 0120-2567270 पर संपर्क करें। विस्तृत जानकारी www.mstcecommerce.com एवं www.mstcindia.co.in देखें।

टीबी, कालाजार को करेगें जड़ से खत्म : डॉ. हर्षवर्धन

जनसत्ता ग्रुपो नई दिल्ली, 22 अक्टूबर।

देश से पोलियो को जड़ से खत्म करने के बाद हम टेपेडिक (टीबी) को पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके लिए 'टीबी हरिया, देश जीतना' कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा कालाजार को भी पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता में ये बातें कहीं। वह पल्ल पोलियो अभियान के 25 साल पूरे होने और इस अभियान को हर बच्चे तक पहुंचाने की किर से शपथ लेने से संबंधित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इसके लोकर 31 अक्टूबर को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

हर्षवर्धन ने बताया कि पोलियो को खत्म करने का अभियान 1994 में शुरू हुआ था। इससे पहले, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 1988 में दुनिया से पोलियो को खत्म करने का अभियान शुरू किया था। इस अभियान में ब्राजील जैसे देशों ने बहुत अच्छा काम किया था। उस समय दुनिया के 60 फीसद बच्चे भारत में हुआ करते थे और कोई इसे खत्म करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा था। लोग इसे असंभव मानते थे। मंत्री ने कहा कि इस अभियान को लेकर जो लोग उस समय निराशाजनक बातें करते थे, मैं उनसे एक ही बात कहता था कि जब हम हर व्यक्ति तक मतदान पत्र पहुंचा सकते हैं तो हर बच्चे तक पोलियो की दवा

क्यों नहीं पहुंचा सकते हैं। इसके बाद हमने सभी सहयोगियों की मदद से इसे खत्म कर दिखाया। उन्होंने बताया कि भारत में 13 जनवरी, 2011 को पोलियो का आखिरी मामला पश्चिम बंगाल के हावड़ा से सामने आया था। इसके बाद लगातार तीन सालों तक एक भी पोलियो का मामला सामने नहीं आने पर 2014 में डब्ल्यूएचओ ने भारत को पोलियो-मुक्त घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि देश में सफल पल्ल पोलियो अभियान के 25 साल पूरे होने पर 31 अक्टूबर को दिल्ली में भव्य आयोजन किया जाएगा।

पंजाब नैशनल बैंक सांकेतिक कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

विश्वोपरीटीनाइजेशन एवं रिफ़रेंसेशन ऑफ़ फ़ेडरलमोगुल गोएट्ज़े इन्फ़ोटेक ऑफ़ लिश्वोपरीटी इन्फ़ोटेक एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा लिश्वोपरीटी इन्फ़ोटेक (एनफ़ोर्समेंट) नियमों 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ऋणियों/गारंट्टोर को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शार गए खाते में उनके नामों के सामने दी गई शर्तों पर नोटिस की तारीख/उक्त नोटिस की प्रतिलिपी की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए माना नोटिस जारी किया था। ऋणी/ऋणियों/गारंट्टोरों द्वारा राशि अदा करने में असफल होने पर ऋणी/ऋणियों/गारंट्टोरों और उन सामग्रियों को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने प्रत्येक खाते के सामने दी गई शर्तों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्तियों/सम्पत्तियों का सांकेतिक अधिग्रहण कर लिया है। ऋणी/ऋणियों/गारंट्टोरों/बैंककर्ताओं को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्तियों/सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्तियों/सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन-देन पंजाब नैशनल बैंक को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के खाते को पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

क्र.सं	शाखा का नाम	खाते का नाम और खाता नं०	ऋणकर्ता का नाम और पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	बाण नोटिस की तिथि/बाण नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सांकेतिक कच्चा सूचना की तिथि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम
1.	मानंद पांडेय नगर, मेरठ	श्याम पत्नी रमणीजी प्रताप सिंह, 483/1, न्यू गोविंदपुरी, ककरोखड़ा, मेरठ	श्याम पत्नी रमणीजी प्रताप सिंह, 483/1, न्यू गोविंदपुरी, ककरोखड़ा, मेरठ	आपसीय मकान अक्षर पॉल्टे नं. 19, 20, 21 का भाग खसरा नं. 1105 न्यू गोविंदपुरी ककरोखड़ा, मेरठ, क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर स्थानीय श्याम, लिखली सीमाई- पूर्व: 57' सुनीता के हॉटेल के लता हुआ, पश्चिम- 57' सुनीता व संगीता के लॉट से लगा हुआ, उत्तर- 15'11' अन्य की संमति से लगा हुआ, दक्षिण- 15' चौक रास्ता से लगा हुआ	16.07.2019	19.10.2019	अविनाश कुमार मो, 9771430208

दिनांक- 22.10.2019 स्थान- मेरठ प्राधिकृत अधिकारी

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India
 Phone No. 0124-2393163 E-mail: www.fedrabzroadgaziabad@bankofindia.co.in
 Ref. No. WR/GADW/2019-20/7511-51 & 3011-11 Date: 18-10-2019

कच्चा नोटिस (अचल संपत्ति के लिए) (नियम 8 (1))
 बैंक अर्थशेखर कर्ता ने लिखित आदेशों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गत तथा प्रतिभूतिक लिपि का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया, बजौराबाद रोड शाखा का प्राधिकृत अधिकारी लॉट नं. 13(12) सार्वजनिक प्रतिभूतिक लिपि (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रवर्तन शाखा का प्रयोग करते हुए (ए) दिनांक 03.06.2019 को माना नोटिस जारी किया था जिसमें उभाकर्ता पैरस गूणा फुडवेयर (प्रो.ख. श्री नरेश चंद गुणा), ए-237, सैक्टर-4, लाजपत नगर, माहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005 और दूकान नंबर-442/1, हाराज नगर मार्किट, गाजियाबाद, यूपी और गारंट श्रौपति दिक्षा गुणा पती स्व. श्री नरेश चंद गुणा), ए-237, गांधीय फ्लोर, सैक्टर-4, लाजपत नगर, माहिबाबाद, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश को माना नोटिस में बर्णित ऋण को गिरा रु. 26,01,044.93 (रुपये छब्बीस लाख एक हजार चौबीसाले और तिरानवे पैसे) जो कि 03.06.2019 को (incl. inll. upto 20.05.2019) 21.05.2019 से आगे का ब्याज, खर्च और अन्य आकस्मिक शुल्कों सहित अन्य देय होगा यह एक ऋण खाता (कैश ड्रेडिट) मेसर्स गुणा फुडवेयर (प्रो. ख. श्री नरेश चंद गुणा) को कि 03.06.2019 को (incl. inll. upto 16.07.2019) 17.07.2019 से आगे का ब्याज, खर्च और अन्य आकस्मिक शुल्कों सहित को नॉटिस दिए जाने के 60 दिवस के भीतर चुकाने को करा गया था और (बी) दिनांक 01.08.2019 को माना नोटिस जारी किया था जिसमें उभाकर्ता श्रौपति दिक्षा गुणा पती स्व. श्री नरेश चंद गुणा, कानूनी वारिस स्व. श्री नरेश चंद गुणा- इन्वॉल्ट गुणा पुत्र श्री स्व. नरेश चंद गुणा, डी. डब्ल्यू. महर और नैचुरल गार्डियन- श्रौपति दिक्षा गुणा पती और कानूनी वारिस स्व. श्री नरेश चंद गुणा-रिश्मिा पुत्री स्व. श्री नरेश चंद गुणा डी. डब्ल्यू. महर और नैचुरल गार्डियन-श्रौपति दिक्षा गुणा पती ए-237, सैक्टर-4, लाजपत नगर, माहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को माना नोटिस में बर्णित ऋण को गिरा रु. 28,05,101.47 (रुपये अठ्ठाइस लाख पांच हजार एक सौ एक और सैतालीस पैसे) जो कि 01.08.2019 को (incl. inll. upto 16.07.2019) 17.07.2019 से आगे का ब्याज, खर्च और अन्य आकस्मिक शुल्कों सहित को नॉटिस दिए जाने के 60 दिवस के भीतर चुकाने को करा गया था।

ऋणी/गारंट्टर द्वारा दोनों ऋणों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) को धरणीय अदा न करने पर बजौराबाद को दोनों लॉटों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) बना न किये जाने पर तथा आम बनाने को सूचित किया जाता है कि अर्थशेखर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) संपत्ति उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रवर्तन शाखा का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.10.2019 को निम्नलिखित संपत्ति का कच्चा नोटिस किया।
 विवरण रूप से ऋणी/गारंट्टर दोनों ऋणों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) को धरणीय अदा न करने पर बजौराबाद को दोनों लॉटों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) बना न किये जाने पर तथा आम बनाने को सूचित किया जाता है कि अर्थशेखर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) संपत्ति उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रवर्तन शाखा का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.10.2019 को निम्नलिखित संपत्ति का कच्चा नोटिस किया।
 विवरण रूप से ऋणी/गारंट्टर दोनों ऋणों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) को धरणीय अदा न करने पर बजौराबाद को दोनों लॉटों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) बना न किये जाने पर तथा आम बनाने को सूचित किया जाता है कि अर्थशेखर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) संपत्ति उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रवर्तन शाखा का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.10.2019 को निम्नलिखित संपत्ति का कच्चा नोटिस किया।
 विवरण रूप से ऋणी/गारंट्टर दोनों ऋणों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) को धरणीय अदा न करने पर बजौराबाद को दोनों लॉटों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) बना न किये जाने पर तथा आम बनाने को सूचित किया जाता है कि अर्थशेखर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) संपत्ति उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रवर्तन शाखा का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.10.2019 को निम्नलिखित संपत्ति का कच्चा नोटिस किया।
 विवरण रूप से ऋणी/गारंट्टर दोनों ऋणों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) को धरणीय अदा न करने पर बजौराबाद को दोनों लॉटों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) बना न किये जाने पर तथा आम बनाने को सूचित किया जाता है कि अर्थशेखर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) संपत्ति उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रवर्तन शाखा का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.10.2019 को निम्नलिखित संपत्ति का कच्चा नोटिस किया।
 विवरण रूप से ऋणी/गारंट्टर दोनों ऋणों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) को धरणीय अदा न करने पर बजौराबाद को दोनों लॉटों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) बना न किये जाने पर तथा आम बनाने को सूचित किया जाता है कि अर्थशेखर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) संपत्ति उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रवर्तन शाखा का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.10.2019 को निम्नलिखित संपत्ति का कच्चा नोटिस किया।
 विवरण रूप से ऋणी/गारंट्टर दोनों ऋणों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) को धरणीय अदा न करने पर बजौराबाद को दोनों लॉटों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) बना न किये जाने पर तथा आम बनाने को सूचित किया जाता है कि अर्थशेखर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) संपत्ति उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रवर्तन शाखा का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.10.2019 को निम्नलिखित संपत्ति का कच्चा नोटिस किया।
 विवरण रूप से ऋणी/गारंट्टर दोनों ऋणों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) को धरणीय अदा न करने पर बजौराबाद को दोनों लॉटों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) बना न किये जाने पर तथा आम बनाने को सूचित किया जाता है कि अर्थशेखर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) संपत्ति उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रवर्तन शाखा का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.10.2019 को निम्नलिखित संपत्ति का कच्चा नोटिस किया।
 विवरण रूप से ऋणी/गारंट्टर दोनों ऋणों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) को धरणीय अदा न करने पर बजौराबाद को दोनों लॉटों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) बना न किये जाने पर तथा आम बनाने को सूचित किया जाता है कि अर्थशेखर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) संपत्ति उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रवर्तन शाखा का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.10.2019 को निम्नलिखित संपत्ति का कच्चा नोटिस किया।
 विवरण रूप से ऋणी/गारंट्टर दोनों ऋणों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) को धरणीय अदा न करने पर बजौराबाद को दोनों लॉटों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) बना न किये जाने पर तथा आम बनाने को सूचित किया जाता है कि अर्थशेखर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) संपत्ति उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रवर्तन शाखा का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.10.2019 को निम्नलिखित संपत्ति का कच्चा नोटिस किया।
 विवरण रूप से ऋणी/गारंट्टर दोनों ऋणों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) को धरणीय अदा न करने पर बजौराबाद को दोनों लॉटों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) बना न किये जाने पर तथा आम बनाने को सूचित किया जाता है कि अर्थशेखर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) संपत्ति उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रवर्तन शाखा का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.10.2019 को निम्नलिखित संपत्ति का कच्चा नोटिस किया।
 विवरण रूप से ऋणी/गारंट्टर दोनों ऋणों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) को धरणीय अदा न करने पर बजौराबाद को दोनों लॉटों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) बना न किये जाने पर तथा आम बनाने को सूचित किया जाता है कि अर्थशेखर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) संपत्ति उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रवर्तन शाखा का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.10.2019 को निम्नलिखित संपत्ति का कच्चा नोटिस किया।
 विवरण रूप से ऋणी/गारंट्टर दोनों ऋणों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) को धरणीय अदा न करने पर बजौराबाद को दोनों लॉटों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) बना न किये जाने पर तथा आम बनाने को सूचित किया जाता है कि अर्थशेखर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) संपत्ति उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रवर्तन शाखा का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.10.2019 को निम्नलिखित संपत्ति का कच्चा नोटिस किया।
 विवरण रूप से ऋणी/गारंट्टर दोनों ऋणों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) को धरणीय अदा न करने पर बजौराबाद को दोनों लॉटों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) बना न किये जाने पर तथा आम बनाने को सूचित किया जाता है कि अर्थशेखर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) संपत्ति उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रवर्तन शाखा का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.10.2019 को निम्नलिखित संपत्ति का कच्चा नोटिस किया।
 विवरण रूप से ऋणी/गारंट्टर दोनों ऋणों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) को धरणीय अदा न करने पर बजौराबाद को दोनों लॉटों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) बना न किये जाने पर तथा आम बनाने को सूचित किया जाता है कि अर्थशेखर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) संपत्ति उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रवर्तन शाखा का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.10.2019 को निम्नलिखित संपत्ति का कच्चा नोटिस किया।
 विवरण रूप से ऋणी/गारंट्टर दोनों ऋणों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) को धरणीय अदा न करने पर बजौराबाद को दोनों लॉटों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) बना न किये जाने पर तथा आम बनाने को सूचित किया जाता है कि अर्थशेखर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) संपत्ति उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रवर्तन शाखा का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.10.2019 को निम्नलिखित संपत्ति का कच्चा नोटिस किया।
 विवरण रूप से ऋणी/गारंट्टर दोनों ऋणों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) को धरणीय अदा न करने पर बजौराबाद को दोनों लॉटों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) बना न किये जाने पर तथा आम बनाने को सूचित किया जाता है कि अर्थशेखर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) संपत्ति उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रवर्तन शाखा का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.10.2019 को निम्नलिखित संपत्ति का कच्चा नोटिस किया।
 विवरण रूप से ऋणी/गारंट्टर दोनों ऋणों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) को धरणीय अदा न करने पर बजौराबाद को दोनों लॉटों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) बना न किये जाने पर तथा आम बनाने को सूचित किया जाता है कि अर्थशेखर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) संपत्ति उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रवर्तन शाखा का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.10.2019 को निम्नलिखित संपत्ति का कच्चा नोटिस किया।
 विवरण रूप से ऋणी/गारंट्टर दोनों ऋणों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) को धरणीय अदा न करने पर बजौराबाद को दोनों लॉटों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) बना न किये जाने पर तथा आम बनाने को सूचित किया जाता है कि अर्थशेखर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) संपत्ति उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रवर्तन शाखा का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.10.2019 को निम्नलिखित संपत्ति का कच्चा नोटिस किया।
 विवरण रूप से ऋणी/गारंट्टर दोनों ऋणों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) को धरणीय अदा न करने पर बजौराबाद को दोनों लॉटों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) बना न किये जाने पर तथा आम बनाने को सूचित किया जाता है कि अर्थशेखर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) संपत्ति उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रवर्तन शाखा का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.10.2019 को निम्नलिखित संपत्ति का कच्चा नोटिस किया।
 विवरण रूप से ऋणी/गारंट्टर दोनों ऋणों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) को धरणीय अदा न करने पर बजौराबाद को दोनों लॉटों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) बना न किये जाने पर तथा आम बनाने को सूचित किया जाता है कि अर्थशेखर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) संपत्ति उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रवर्तन शाखा का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.10.2019 को निम्नलिखित संपत्ति का कच्चा नोटिस किया।
 विवरण रूप से ऋणी/गारंट्टर दोनों ऋणों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) को धरणीय अदा न करने पर बजौराबाद को दोनों लॉटों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) बना न किये जाने पर तथा आम बनाने को सूचित किया जाता है कि अर्थशेखर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) संपत्ति उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रवर्तन शाखा का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.10.2019 को निम्नलिखित संपत्ति का कच्चा नोटिस किया।
 विवरण रूप से ऋणी/गारंट्टर दोनों ऋणों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) को धरणीय अदा न करने पर बजौराबाद को दोनों लॉटों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) बना न किये जाने पर तथा आम बनाने को सूचित किया जाता है कि अर्थशेखर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) संपत्ति उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रवर्तन शाखा का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.10.2019 को निम्नलिखित संपत्ति का कच्चा नोटिस किया।
 विवरण रूप से ऋणी/गारंट्टर दोनों ऋणों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) को धरणीय अदा न करने पर बजौराबाद को दोनों लॉटों (ऋणः कैश ड्रेडिट और हासिंग) लोन खाता) बना न किये जाने पर तथा आम बनाने को सूचित किया जाता है कि अर्थशेखर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) संपत्ति उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रवर्तन शाखा का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.10.2019 को निम्नलिखित संपत्ति का कच्चा नोटिस किया।